न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर (शहर)

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 13/2018

आरसीएमएस नम्बरः– 2018/00031

नवरतन ––बनाम––– धमेन्द्र वगै0

प्रा .पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सीपीसी

उपस्थितः–

1. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1।
2. श्री गिरीराज व्यास, अभिभाषक अप्रार्थी/वादी ।

–:आदेशः– दिनांकः– 04.10.2019

वादी ने दिनांक 15.05.2018 को यह वाद पत्र प्रस्तुत कर ग्राम नैणों का बास, पटवार हल्का रिडमलसर पुरोहितान् तहसील बीकानेर के खसरा नं. 206 व 183/39 में तादादी 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि, जिसपर वादी के दादा–परदादा काश्त करते आ रहे है, वर्तमान में वादी स्वयं काश्त करता आ रहा है । उक्त भूमि का इंतकाल जानी वल्द चौथू जाति ब्राह्म्ण निवासी रिडमलसर के नाम से दर्ज है। जिसे अप्रार्थी/वादी विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी उसके मालिकाना व काबिजाना कृषि भूमि में प्रवेश करने से वादी/अप्रार्थी को ना रोके, वादी के काश्तकार के अधिकारों के उपयोग में बाधा ना उत्पन्न करने बाबत अनुतोष चाहने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. दिनांक 20.06.2018 को प्रार्थी/प्रतिवादी सं 1 ने एक प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन किया कि वादगत भूमि के सम्बंध में वादी ने वादपत्र धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. के तहत् पेश किया है। वादी वादपत्र में स्वयं के अभिवचनों के अनुसार वादगत आरजी जानी वल्द चौथू के नाम से दर्ज रिकॉर्ड होने का कथन किया गया है। आगे कथन किया है कि वादी/अप्रार्थी जानी वल्द चौथू से एवं वादगत भूमि से क्या सम्बंध रखता है ? वादी को वाद लाने का अधिकार किस प्रकार से मिला ? ऐसा कुछ भी अभिवचन नहीं किया है। अप्रार्थी/वादी को प्रार्थी/प्रतिवादी के खिलाफ किसी प्रकार का वाद कारण हासिल नहीं है, ना ही वाद कारण डिस्क्लोज हुआ है। इसलिए वाद इसी स्टेज पर रिजेक्ट किये जाने योग्य है। आगे कहा कि वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वादी/अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुतोष अधिकारों की घोषणा बाबत् नहीं चाहा गया है। विधि का मान्य सिद्धान्त है कि बिना अधिकारों की घोषणा के चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद संधारण योग्य नहीं है। इसलिए दावा बार्ड बाई लॉ है तथा वाद इसी स्टेज पर रिजेक्ट किये जाने योग्य है । आगे कथन किया कि वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बेबुनियाद, आधारहीन एवं बोगस लिटिगेशन की तारीफ में आता है। इसलिए वाद को इसी स्टेज पर रिजेक्ट फरमाया जावें।

3. अभिभाषक वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जवाब मे प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुवे कथन किया कि उसे प्रतिवादी/प्रार्थी के खिलाफ वाद कारण हासिल है, क्योंकि प्रतिवादी/प्रार्थी वादी की पुश्तैनी भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते हुए वादी/अप्रार्थी

के उक्त भूमि बाबत् काश्तकारी के अधिकारों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जबकि उसका उक्त भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रा.पत्र में जो प्रश्न खड़े किये गये है, उनका निर्णय जवाब दावा व साक्ष्य के पश्चात् ही लिया जा सकता है। इस प्रा. पत्र के जवाब के साथ चौथमल उर्फ चौथू के जायज वारिसानों का वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत रिड़मलसर पुरोहितान् द्वारा जारी किया गया है। आगे प्रार्थी/प्रतिवादी के घोषणा व चिरनिषेधाज्ञा के अभिवचन के जवाब में कथन किया कि यह कथन विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जो कि विवाद्यक निर्मित कर साक्ष्य के पश्चात् ही स्पष्ट हो सकता है। प्रतिवादी/अप्रार्थी ने यह प्रा. पत्र मात्र विलम्ब करने हेतु पेश किया है। ताकि वह इस विलम्ब की आड़ में वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा कायम कर सके । आगे कहा कि वादी ने वाद अपने काश्तकार अधिकारों की रक्षा हेतु व प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा की जाने वाली बाधा को दूर करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। क्योंकि क्षति वादी/प्रार्थी को ही कारित हो रही है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने कथन किया कि वादगत भूमि से वादी का क्या सम्बंध है? जानी वल्द चौथू से क्या सम्बंध है? वादपत्र में रिलीफ किस आधार पर मांगी गयी है। वादी क्या जानी वल्द चौथू का एकमात्र वारिस है ? इन सब वातों का वादी ने वादपत्र में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। आगे कथन किया प्रविवादी का वादगत भूमि से कोई दूर–दूर तक सम्बंध नहीं है। अपितु यहीं क्या प्रतिवादी के नाम से कहीं भी कोई कृषि भूमि नहीं है। प्रकरण में वादी द्वारा 88 आरटीए के तहत् कोई रिलीफ नहीं मांगी गई है। वादी 188 आरटीए के तहत् आया है, 188 सिर्फ खातेदार ला सकता है, वादी का नाम वादगत भूमि के क्रम में कहीं भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वादी द्वारा एक झूठा वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, अतः यह बार्ड बाई लॉ है। वाद पत्र में प्रतिवादी के खिलाफ वादी को कोई वाद हेतुक प्राप्त ही नहीं है। बिना राजस्व रिकॉर्ड के न्यायालय हाजा को सुनने व डिक्री करने का अधिकार ही नहीं है। वाद पत्र में प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र पर भी दिनांक अंकित नहीं है, वह भी फोटो कॉपी है, जो वादी के शपथ–पत्र के आधार पर जारी किया गया है । आगे कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी किसी भी स्टेज पर तय किया जा सकता है। अतः प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी/प्रतिवादी ने निम्नलिखित नजीरें पेश की :–

1. 2016(3) Civil Court Cases (SC) Page 790
2. 2017(1) DNJ (rajHC) Page 1(B)
3. 2009 AIR (Raj HC) Page 1
4. 2007 (4) Civil Court Cases (SC) Page 731
5. 2012 DNJ (SC) Page 734

6. इसके जवाब मे वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा कथन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश नहीं किया गया है, केवल मौखिक जवाब पेश किया गया है। प्रार्थी के कथन वादपत्र में रिलीफ किस आधार पर मांगी गयी है?, वादी 188 आरटीए के तहत् आया है, 188 सिर्फ खातेदार ला सकता है, वादी का नाम कहीं भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, के क्रम में आगे कथन किया कि यह सब बिन्दु तनकियात् के बाद ही तय होने है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात् ही मेरा साक्ष्य है। आगे कथन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी मौखिक रूप से ही इन्कार किये जा रहे है, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी/प्रतिवादी केवल वादी/अप्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हटवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज

फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अप्रार्थी /वादी ने निम्नलिखित नजीरें पेश की:–

1. DNJ 2006(1) Raj. Page 88
2. DNJ 2013(3) Raj. Page 1219

7. हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस का मनन व प्रकरण में प्रस्तुत नजीरों का आदरपूर्वक अध्ययन किया। आदेश 7 रूल 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में न्यायालय के समक्ष निम्नांकित बिन्दु विचारणीय है:–

1. क्या वाद विधि द्वारा वर्जित है ?

2. क्या वाद में वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है ?

8. प्रथम बिन्दु के क्रम में– वकील प्रार्थी की बहस यह रही कि वादगत भूमि से वादी का क्या सम्बंध है? जानी वल्द चौथू से क्या सम्बंध है? वादपत्र में रिलीफ किस आधार पर मांगी गयी है । क्या वादी जानी वल्द चौथू का एकमात्र वारिस है ? इन सब बातों का वादी ने वादपत्र में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। आगे कथन किया प्रविवादी का वादगत भूमि से कोई दूर–दूर तक सम्बंध नहीं है। ना ही प्रतिवादी के नाम से कोई जमाबन्दी आदि है। प्रकरण में वादी द्वारा 88 आरटीए के तहत् कोई रिलीफ नहीं मांगी गई है। वादी 188 आरटीए के तहत् आया है, 188 सिर्फ खातेदार ला सकता है, वादी का नाम वादगत भूमि के क्रम में कहीं भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वादी द्वारा एक झूठा वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, अतः यह बार्ड बाई लॉ है। वकील वादी के इन कथनों के बारे में न्यायालय हाजा का यह मत है कि वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब वादी/अप्रार्थी सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत् दावे में साक्ष्य की स्टेज पर अपना दावा साबित करने हेतु न्यायालय की अनुमति से दस्तावेजात् इत्यादि प्रस्तुत कर साबित कर सकता है। किन्तु यहाँ पर वादी का अपनी बहस में स्पष्ट कहना है कि उसके द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज ही उसका साक्ष्य है, इस क्रम में अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर DNJ 2013(3) Raj. Page 1219 में माननीय न्यायालय ने उल्लेख किया है कि **"न्यायालय को वादपत्र में किये गये प्रकथनों की जाँच करना अपेक्षित है– उठाई गयी आपत्तियां साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद अधिनिर्णित की जा सकती है"। अतः प्रस्तुत नजीर भी वादी/अप्रार्थी के अभिकथनों पर चस्पा होती है ।** पत्रावली के अवलोकन से वादपत्र में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे वादी/अप्रार्थी के कथनों को बल मिले और प्रार्थी/प्रतिवादी को उसके द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब । ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर 2017(1) DNJ (Raj HC) Page 1(B) में माननीय न्यायालय ने लिखा है कि **"वादपत्र का खारिज करना–यदि वादपत्र सख्ती से आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत नहीं आता है, यह धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है– तुच्छ और परेशान करने वाला वाद प्रारम्भ में ही दबा देना चाहिये"** हुबहु चस्पा होती है। अप्रार्थी/वादी ने वादपत्र के संलग्न जमाबन्दी जानी वल्द चौथू नाम से है, वादी/अप्रार्थी के नाम से पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वादी/अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किये गये कथन कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश नहीं किया गया है, केवल मौखिक कथन किया गया है। इसके सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर 2016(3) Civil Court Cases (SC) Page 790 में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "Application for rejection plaint can be filed at any stage of suit- Defendant is entitled to file application for rejection of plaint before filing his written statement" हुबहु चस्पा होती है। विधि का मान्य सिद्धान्त है कि बिना अधिकारों की घोषणा के चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद संधारण योग्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुतोष पैरा "वाद पत्र

प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध व वादी के हक में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश पारित फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी की मालीकाना व काबिजाना कृषि भूमि में प्रवेश करने से वादी को ना रोके, वादी के काश्तकार अधिकारों के उपयोग में बाधा उत्पन्न न करे । ऐसा कोई फेल या तर्क फैल न करें, जिससे वादी के हितों पर कुठाराघात उत्पन्न होता हो । अन्य कोई अनुतोष जो श्रीमान् वादी के हक में उचित समझे, अता फरमाया जावें " को पढने से यह तथ्य साबित होता कि दावा बार्ड बाई लॉ है। अतः किसी भी स्टेज पर वाद खारिज किया जा सकता।

9. द्वितीय बिन्दु के क्रम में– जहाँ तक वाद हैतुक का प्रश्न है, वादपत्र में वादी/अप्रार्थी द्वारा पेरा संख्या 3 में उल्लेख किया गया है, किन्तु उसके इस कथन पर प्रार्थी/प्रतिवादी ने पूर्व में अपनी बहस व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रविवादी का वादगत भूमि से कोई दूर–दूर तक सम्बंध नहीं है। ना ही प्रतिवादी के नाम से कोई जमाबन्दी आदि है। ना ही वह वादी/अप्रार्थी को जानता है, ऐसे में वादी उसके खिलाफ दावा किस हैसियत से लाये है, यह भी दावें में स्पष्ट नहीं किया गया है, अपितु प्रतिवादी/प्रार्थी का यह भी कहना है कि जब वादी/अप्रार्थी के नाम से वादगत भूमि है ही नहीं तो उसे किसी भी प्रकार का कॉज ऑफ एक्शन प्रार्थी के खिलाफ प्राप्त कैसे हुआ? ऐसे में हमारा यह मत है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद हैतुक स्पष्ट नहीं होकर काल्पनिक प्रतीत होता है। वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आधारहीन एवं बोगस लिटिगेशन की तारीफ में आता है। इसलिए वाद इसी स्टेज पर रिजेक्ट किया जाने योग्य है।

10. अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सीपीसी प्रार्थी/प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादपत्र इसी स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की तारीफ में एवं धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का प्रयोग करते हुवें खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया व सरे इजलास सुनाया गया जाकर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बीकानेर (शहर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2019.11.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: